भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1992

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

हजारीबाग में बिजली आपूर्ति की स्थिति

†1992. श्री मनीष जायसवाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड के हजारीबाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हजारीबाग में पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण सहित किए गए विद्युतीकरण कार्यों का ग्राम-वार और शहरी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्वाचन क्षेत्र में नए उपकेन्द्रों, पारेषण लाइनों, फीडर पृथक्करण या विद्युत वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है; और

(घ) हजारीबाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और उद्योगों को निर्बाध, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2026-27 (जून, 2026 तक) के दौरान झारखंड राज्य (हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) की विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है। झारखंड राज्य में ऊर्जा आपूर्ति तथा ऊर्जा आवश्यकता के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 3.8% से घटकर वर्तमान वर्ष के दौरान लगभग 'शून्य' हो गया है, जिससे राज्य में समग्र विद्युत आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

(ख) और (घ) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः विभिन्न क्षेत्रों/उपभोक्ताओं की श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने हजारीबाग क्षेत्र में 11 केवी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने के लिए 25 एमवीए का एक 33/11 केवी ई-हाउस सबस्टेशन कमीशन किया है।

इसके अलावा, डीवीसी अपने कमांड क्षेत्र (हजारीबाग क्षेत्र में) में निम्नलिखित कार्यों की योजना बना रहा है:

(i) डीवीसी, हजारीबाग में एक 50 एमवीए, 132/33 केवी ट्रांसफार्मर को 80 एमवीए, 132/33 केवी ट्रांसफार्मर से बदलकर क्षमता संवर्धन।

(ii) एचटीएलएस कंडक्टर के साथ 132 केवी डी/सी बरही - हजारीबाग लाइन की री-कंडक्टरिंग और अपरेटिंग।

भारत सरकार ने वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कई पहल की हैं जो निम्नानुसार हैं:

(i) जुलाई, 2021 में शुरू की गई, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, झारखंड राज्य के लिए 4,326 करोड़ रुपये (स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 858 करोड़ रुपये तथा वितरण अवसंरचना/हानि–न्यूनीकरण कार्यों के लिए 3,468 करोड़ रुपये) की परियोजनाओं को संस्वीकृत की गई है। इस स्कीम की समाप्ति तिथि अर्थात दिनांक 31.03.2028 तक संस्वीकृत कार्यों के पूरा होने की संभावना है। हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ii) आरडीएसएस के अलावा, अन्य पहलें इस प्रकार हैं:

I. राज्य सरकारों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% तक अतिरिक्त ऋण लेने की सहमति दी गई है, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधारों को लागू करने की शर्त के अध्यधीन है।

II. निर्धारित शर्तों के अनुरूप विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर राज्य-स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।

III. ईंधन तथा विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत शामिल है।

IV. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

(ग) : हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पारेषण तथा वितरण अवसंरचना संबंधी कार्यों के लिए इस मंत्रालय के पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1992

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान झारखंड राज्य (हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) की विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण 2026-27 (जून, 2026 तक):

वित्त वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2023-24	14,408	13,858	550	3.8
2024-25	15,203	15,126	77	0.5
2025-26	15,435	15,430	5	0.0
2026-27 (जून, 2026 तक*)	4,430	4,429	1	0.0

** जून माह का डेटा अनंतिम है।*

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1992

अनुबंध-II

शहरी क्षेत्रों सहित हजारीबाग, बरही, रामगढ़, कुज्जू के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत कार्यों का विवरण

क. हानि न्यूनीकरण कार्य:

मुख्य शीर्ष	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	विवरण	संस्वीकृत मात्रा	आवंटित मात्रा	पूर्ण
फीडर पृथक्करण	15.35	एचटी लाइनें (सीकेएम)	102	102	9.34
		एलटी लाइनें (सीकेएम)	61	61	3.09
		डीटी (सं.)	69	69	2
फीडर विभाजन	44.57	एचटी लाइनें (सीकेएम)	106	106	111.72
		एलटी लाइनें (सीकेएम)	389	389	228.95
		डीटी (सं.)	178	178	122
एचवीडीएस	79.31	एचटी लाइनें (सीकेएम)	627	627	90
		एलटी लाइनें (सीकेएम)	307	307	172
		डीटी (सं.)	330	330	247
केबलिंग कार्य (एबी)	165.43	एलटी केबल(सीकेएम)	2,462	2,462	1,754
अन्य	3.01	कैपेसिटर बैंक (सं.)	2	2	0
		वीसीबी और एबी स्विच (सं.)	474	474	174
कुल	**307.67**				

ख. आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग कार्य:

विवरण	संस्वीकृत	अवार्ड किया गया	संस्थापित
उपभोक्ता मीटर	1,66,175	1,66,175	1,15,638
डीटी मीटर	2,101	2,101	339
फीडर मीटर	163	163	132

ग. ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरण कार्य (आरडीएसएस तथा राज्य-वित्त पोषित एमयूजेवाई):

स्कीम	घटक	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
आरडीएसएस	पीवीटीजी	0.90	136	136
	डीए-जेजीयूए	0.85	200	कार्य आवंटन प्रगति पर है
	पीएम-अजय	0.01	3	
	अतिरिक्त घर	0.14	34	
एमयूजेवाई (राज्य-वित्त पोषित)	मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना	84.18	18,249	5,586
कुल		**86.08**	**18,622**	**5,722**
